BSES

बेकरी मालिक को 2 साल की सश्रम कैद, 35 लाख रूपये का जुर्माना

- साउथ दिल्ली में बिजली चोरी का मामला

नई दिल्लीः 31 अगस्त, 2012। साउथ दिल्ली की बेकरी अपोलो फूड्स के मालिक उदय वीर सिंह को बिजली चोरी की भारी सजा मिली है। साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35.6 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। अगर उदय वीर जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और 1 साल यानी कुल 3 साल जेल में गुजारने होंगे। अपोलो फूड्स के मालिक को बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने 68 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा था।

अडिशनल सेसन जज श्री नरोत्तम कौशल ने अपने आदेश में कहा— आरोपी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 के तहत दोषी करार दिया जाता है। दोषी व्यक्ति की वजह से शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई भी वह करेगा।

कोर्ट ने धारा 135 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति को जितना वित्तीय लाभ हुआ है, उससे कम से कम तीन गुना फाइन उसे देना पड़ेगा। चूंकि दोषी व्यक्ति को 11, 84, 547 रूपये का वित्तीय लाभ हुआ है, इसलिए उप पर तीन गुना ज्यादा, यानी 35, 53, 641 रूपये का जुर्माना किया जा रहा है। इसमें से 23, 69, 094 रूपये, नुकसान की भरपाई के तौर पर बिजली कंपनी को मिलेंगे, और 11, 84, 547 रूपये राज्य को जाएंगे।

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि सामाजिक—आर्थिक अपराध परिस्थितिजन्य नहीं होते। ये अपराध सोच—समझकर और गुणा—भाग करने के बाद, बाद पूरे समाज की कीमत पर खुद के लाभ के लिए किए जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं। ... मेरे विचार में दोषी को बड़ी सजा मिलनी चाहिए।

क्या था मामला

इग्नू के पास नेबसराय में 407/1, खसरा नंबर 460/1 पर चल रही नामी बेकरी अपोलो फूड्स पर बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने 2007 में छापा मारा था। वहां मिला मीटर डिसकनेक्टेड था और बेकरी में 68 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी हो रही थी। वहां बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। नियमों के तहत, बेकरी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। तय समय के भीतर जब आरोपी ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया, तब मामले को स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया।

कोर्ट में सुनावाई के दौरान उदयवीर सिंह ने दलीलें पेश कीं और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में ये दलीलें काम नहीं आईं और उदयवीर सिंह को बिजली चोरी के जुर्म में भारी सजा सुनाई गई।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।